

# फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

अभिमान

विपक्षी

मान

मुकदमा


188 P.T. 2023

पत्रावली संख्या

27/24

सन

क	कार्यवाही विवरण
	<p>हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं</p>
	<p><u>20/4/23</u> पत्रावली तहत की गई। "प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023" आयोजित किया जाने से पत्रावली में अधिवक्ता पक्षकारानु को सूचित किया जाकर पत्रावली कैम्प <u>28/4/23</u> दिनांक को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>
	<p><u>28/4/23</u> पत्रावली जमान बोम्ब में पेश हुई। प्रकरण में पक्षकारों को मध्य राजी-नामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय हाजा में दिनांक <u>29/4/23</u> को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>
	<p><u>9/10/23</u> पत्रावली में <u>15/10/24</u> दिनांक को पेश हो। प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्यो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>15/10/24</u> को पेश हो।</p>
	<p><u>15/10/24</u> पत्रावली पेश <u>15/10/24</u> दिनांक को पेश हो। प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्यो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>08/10/24</u> को पेश हो।</p>
	<p><u>8/4/24</u> पत्रावली पेश <u>8/4/24</u> दिनांक को पेश हो। प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्यो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>15/6/24</u> को पेश हो।</p>
	<p><u>15/7/24</u> कुलाय वादी/प्रतिवादी उपस्थित/पीठासीन के लिये मौका चाहते है। अतः <u>23/7/24</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>23/7/24</u> को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>



23/9/24  
आज दिनांक की बार एसोसियेशन मॉवली  
में कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया।  
अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक...  
...25/11/24... को पेश हो।  
९

25/11/24  
पत्रावली पेश... कमील शायी/अपीलायत/  
प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो अनुपस्थित/बीछारीय  
अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग  
में पधारें हैं। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में  
नंक... 4/12/24... को पेश हो  
B/o  
३

09/12/24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मध्य  
वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीगण मध्य  
वादीगण को निरन्तर आवाजे दिलवाई गई।  
शमय साँधें 5:00 PM हो चुके हैं। अधिवक्ता  
वादीगण मध्य वादीगण अब तक अनुपस्थित हैं।  
अतः अधिवक्ता वादीगण मध्य वादीगण अनुपस्थित  
रहने पर वादीगण का वाद अलम हाजरी अलम  
फैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल  
शुमार होकर नम्बर से कम हो।  
निर्णय अरे इजलास सुनाया गया।



सहायक जज  
(S.D.O) मवली